

—:प्रार्थना पत्र :-

सेवामें,



श्रीमान् सरपंच/सचिव,  
ग्राम पंचायत .....

विषय :-पुराने गृहों का विनियमिति करण नियम राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996  
के नियम 157 (1) अन्तर्गत पट्टा दिलवाने जाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे श्री /हम श्री .....पिता श्री  
..... जाति .....निवासी .....पंचायत .....  
..... के ग्राम .....की आबादी भूमि आराजी नं. ....में स्वयं का रिहायसी  
पक्का मकान बना हुआ है ।जिसमें मेरा परिवार पीढी दर पीढी गत .....वर्षों से रह रहा है ।

उक्त मकान का स्थल नक्शा व पड़ोस निम्नानुसार है :-



पूर्व दिशा :- .....  
पश्चिम दिशा :- .....  
उतर दिशा :-.....  
दक्षिण दिशा :- .....

पैमाना से.मी. = .....

स्थल का क्षेत्रफल .....वर्गफीट

अब चूंकि मुझे ..... कार्य हेतु पट्टे की आवश्यकता है। अतः  
श्रीमान् से निवेदन है कि कृपा कर मुझे शीघ्र पट्टा दिलाने की कृपा करावें ।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम :- .....

पिता :- .....

पता :- .....

.....

—:शपथ पत्र :—

मैं ..... पिता श्री .....जाति .....  
..... निवासी .....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि:—

1. यह कि ग्राम ..... मोहल्ला /भागल .....में मेरा स्वयं का रिहायशी /पैतृक मकान स्थित है ।
2. यह कि उक्त मकान ग्राम कि आबादी भूमि में बना हुआ है ।
3. यह कि उक्त मकान का कोई दूसरा /तीसरा /.....अन्य हिस्सेदार है अथवा नहीं है ।
4. यदि मेरे द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में दिया गया विवरण गलत साबित होता है तो मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा । तथा गलत विवरण के कारण पंचायत द्वारा दिया गया पट्टा यदि भविष्य में रद्द किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।
5. यह कि उक्त शपथ पत्र पर मैंने अपने पूर्ण होशोहवाश में उपस्थित मोतविरान के समक्ष हस्ताक्षर /अंगुठा निशान किये हैं जो सनद रहे ,वक्त जरूरत काम आवे ।
6. यह कि उक्त शपथ पत्र का मैं दुरुपयोग नहीं करुंगा ।

स्थान :-.....

हस्ताक्षर प्रार्थी

दिनांक :-.....

1. गवाह :- ..... 2. गवाह :- .....

3. गवाह :- ..... 4. गवाह :- .....

—: अनापत्ति प्रमाण—पत्र :-

हम मौहल्ला निवासी यह प्रमाणित करते हैं कि श्री .....पिता श्री ...  
..... जाति .....निवासी .....का मौहल्ला  
/भागल ..... में मकान बना हुआ है ।

जो कि श्री ..... पिता श्री ..... निवासी.....का स्वयं  
का मकान हैं। अतः श्री ..... को उपरोक्त मकान का पंचायत द्वारा पट्टा दिया जाता  
है तो हम मौहल्लावासी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा ।

हस्ताक्षर  
1. नाम :-.....

हस्ताक्षर  
3. नाम :-.....

हस्ताक्षर  
2. नाम :-.....

हस्ताक्षर  
4. नाम :-.....

---

कार्यालय पटवार मण्डल ..... तहसील .....जिला .....

---

क्रमांक :-

दिनांक .....

रिपोर्ट पटवार मण्डल ..... तहसील ..... जिला ..... (राज.) के रेकर्ड अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पिता श्री .....जाति ..... निवासी ..... का मकान जो संलग्न प्रार्थना पत्र में दिया गया है यह मकान ग्राम .....की आबादी भूमि में बना है, तथा यह आराजी नं. ....में दर्ज है एवं मकान का कुल स्थल क्षेत्रफल .....वर्ग फीट हैं ।

दिनांक :-

हस्ताक्षर पटवारी  
पटवार हल्का .....

# आज्ञाओं की सूची

कार्यालय ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति ..... जिला .....

क्र.सं.	दिनांक / प्रस्ताव संख्या	कार्यवाही का विवरण	आगामी सुनवाई दिनांक	हस्ताक्षर
1		<p>आज कोरम में प्रार्थी .....</p> <p>पिता.....जाति.....</p> <p>ने ग्राम पंचायत के ग्राम .....</p> <p>की आबादी भूमि में स्वयं के पुराने गृह /मकान का विनियमनितकरण पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया।</p> <p>प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रार्थी का शपथ पत्र एवं प्रार्थी का मकान आबादी भूमि में होने का पटवारी हल्का द्वारा जारी प्रमाण पत्र /रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात निम्न मौका निरीक्षण कमेटी का गठन नियम 146 के तहत किया गया तथा रिपोर्ट अन्दर मियाद 7 दिवस में अथवा आगामी कौरम में पेश करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>कमेटी के सदस्य :-</p> <p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>उक्त कमेटी संलग्न प्रारूप में नियम 146(3) के भाग क,ख,ग,घ के अनुसार रिपोर्ट पेश करे ।</p>		


2.	<p>आज बैठक में पत्रावली पेश हुई तीन वार्ड पंचो की समिति ने स्थल निरीक्षण कर अपनी राय रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी द्वारा मकान का पट्टा चाहा गया पट्टे की वांछनियता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अपनी अभिशंषाए प्रस्तुत की है:—</p> <p>1.यह कि यह आवंटन जिसके लिये आवेदन किया है ग्रामीणो द्वारा उपयुक्त आने जाने की सुविधाओ को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा ।</p> <p>2.यह कि यह आवंटन जिसके लिये आवेदन किया गया है ग्रामीणो के सुखाचार सम्बन्धी अधिकारी को प्रभावित नहीं करेगा ।</p> <p>3.यह कि यह आवंटन परिक्षेत्र की सुन्दरता एवं सफाई को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा ।</p> <p>4.निरीक्षण समिति की राय के अनुसार श्री..... .....पिता..... निवासी.....का जवाब का दावा न्यायसंगत होने से मकान का विनियमितकरण राज0 पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157( )के तहत मकान वर्ष पुराना होने से रूपये..... .....में विनियमितकरण किया जावे ।</p> <p>अतः निरीक्षण समिति की सिफारिशो के अनुसार पंचायत उक्त मकान का विनियमितकरण के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से निर्णय करती है और नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस की एक प्रति आवेदित स्थल पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो की उपस्थिति में चस्पा करे। आपत्तिया अन्दर मयाद सात दिवस अथवा ग्राम सभा में प्रस्तुत कर निस्तारण का निर्णय किया जावे</p>		
----	--	--	--

3.		<p>आज बैठक में पत्रावली प्रस्तुत की गई। उक्त मकान के विनिमित्तिकरण के सम्बन्ध आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। अतः पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से श्री.....</p> <p>पिता.....जाति .....</p> <p>निवासी.....को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 ( )के तहत रूपये .....</p> <p>प्राप्त कर मकान के विनिमित्तिकरण का पट्टा जारी करने व निर्णय लिया गया।</p> <p>अन्त में उपरोक्त मिसल में की गई कार्यवाही जिसका ग्राम सभा के प्रस्ताव सं. .... दिनांक ..... द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</p>		
----	--	---	--	--

कार्यालय ग्राम पंचायत कुंवारीया ..... समिति .....जिला .....

## मौका पर्चा

आज दिनांक ..... को ग्राम पंचायत ..... के गांव ..... में प्रार्थी श्री..... पिता/पति श्री..... जाति ..... के अन्दर हल्का आबादी में पुश्तैनी मकान का मौका ग्राम वासियो एवं वार्ड पंचो की कमेटी द्वारा देखा गया । मौके पर प्रार्थी का ..... वर्षो से पुराना मकान बना हुआ है। मौके पर पट्टा बनाए जाने बाबत् किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति जाहिर नहीं हुई है। मकान निम्न पडोसो के बीच स्थित है।



उत्तर.....

दक्षिण.....

पूर्व.....

पश्चिम.....

उपरोक्त मकान का पट्टा बनाने में किसी को कोई आपत्ति जाहिर नहीं हुई। बाद पंचनामा मौका पर्चा पढ सुन कर हस्ताक्षर किए गए।

हस्ताक्षर पंचान

ह0 .....  
) (नाम

ह0 .....  
) (नाम

ह0 .....(नाम

प्रमाणित

सरपंच

ग्राम पंचायत .....



कार्यालय ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति ..... जिला .....

## आबादी भूमि का निरीक्षण पत्र

पट्टे की कार्यवाही के सम्बन्ध में पंचायती राज अधिनियम के नियम 146 के अधीन आबादी भूमियों में बने मकान विनियमितकरण हेतु मनोनीत तीन वार्डपंचों की रिपोर्ट :-

आज हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता (मनोनीत सदस्यों ) ने .....निवासी ..... के आवेदन पत्र बाबत चाहने पट्टा मकान विनियमितकरण पेश होने पर मौका देखा गया ।

विवरण निम्न प्रकार है:-

(क) क्या ऐसा आवंटन जिसके लिए आवेदन किया गया ग्रामवासियों द्वारा प्रयुक्त हो रही आने -जाने की सुविधा को प्रभावित करेगा ?	
(ख) क्या ऐसा आवंटन अन्य व्यक्तियों के सुविधा अधिकारों (right easement) को प्रभावित करेगा ?	
(ग) क्या ऐसा आवंटन बस्ती की सुन्दरता तथा सफाई को प्रभावित करेगा ?	
(घ) प्रार्थी का मकान कितने वर्ष पुराना बना हुआ है?	

जमीन का नक्शा जो शामिल है .....का है व ठीक है।

मूल्यांकन के सम्बन्ध में :-

(अ) प्रार्थी का मकान पर .....वर्षों से कब्जा है ।

(ब) प्रार्थी .....  
.....  
.....

हस्ताक्षर पंचान रिपोर्ट देते हैं:-

ह0 ..... ह0 ..... ह0 .....(नाम  
) (नाम ) (नाम )

प्रमाणित

सरपंच

ग्राम पंचायत .....

कार्यालय ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति ..... जिला .....  
क्रमांक ग्रापआ/पट्टा आबादी/2017.18/ दि.....

प्रेषिति :-

1. वार्ड पंच श्री .....
2. वार्ड पंच श्री .....
3. वार्ड पंच श्री .....

विषय :-आबादी भूमि आराजी नं. .... में श्री ..... पिता .....  
..... निवासी ..... के मकान पर मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996के नियम 146 के अधीन आबादी भूमियों में बने मकानों के विनियमितकरण हेतु मौका निरीक्षण बाबत निम्न वार्डपंचों की समिति का गठन किया गया है:-

1. श्री ..... वार्डपंच
2. श्री ..... वार्डपंच
3. श्री ..... वार्डपंच

उक्त समिति तीन दिवस के भीतर श्री ..... पिता ..... निवासी .....  
..... के मकान का स्थल निरीक्षण कर संलग्न प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं बाधित विषयों पर अपनी राय व्यक्त करें

सचिव  
ग्राम पंचायत .....

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् सरपंच ग्राम पंचायत .....

सचिव  
ग्राम पंचायत .....